कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 2363 /FP/UK/ROAD/37612/2018 दिनॉकःदेहरादून 12 मार्च, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/37612/2018**)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 28–12–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 28–12–2020 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No- 1. no correction has been made at para B 2.4 in part –I and only an undertaking regarding the stabilization of muck uploaded in part-I. state govt. may provide the correct information at para B 2.4 in part-I and submit a complete muck disposal plan with detailed comments and plan on muck stabilization.	इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण हेतु 4.463 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसका विवरण परिवेश पोर्टल पर पार्ट–I के पैरा B-2.4 में अपडेट किया गया है। साथ ही उक्त उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु विस्तृत मक डिस्पोजल प्लान भी तैयार किया गया है, जिसको प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट–I में अपलोड कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या–2 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। डिजिटल मैप के बिन्दु क0 35 के आगे जनसंख्या 170 दर्शायी गई है, जो सही नहीं है। अतः राज्य सरकार मार्ग को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	सम्बन्धित आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि डिजिटल मैप में क्रमांक–35 के आगे प्रस्तावित समरेखण नाहीकलां कोटला तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 है, जो ग्राम सभा नाहीकलां के अन्तर्गत आता है। साथ प्रयोक्ता इकाई द्वारा स्थानीय जनता के सुविधार्थ प्रश्नगत मार्ग की अनिवार्यता/उपयोगिता के सम्बन्ध में मूल तथ्यों को समावेशित करते हुए संशोधित प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।
3	In reply to point No-3, State govt. has not submitted the point wise reply of point- 4, 5, 6 10, 11, 12, 16, & 17 of EDS letter dt. 13-08-2020, which may be submitted now.	उक्त आपत्ति में वर्णित बिन्दु सं0–4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 व 17 जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार के पूर्व में जारी पत्र सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/959, दिनांक 13–08–2020 द्वारा निर्गत EDS में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त बिन्दुओं पर ही स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा

की गयी है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित सूचना निम्नवत है:–

बिन्दु–4 : प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण की अपेक्षा के क्रम में संज्ञानार्थ है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु वैकल्पिक संरेखण के दृष्टिगत वर्तमान में चिन्हित भूमि पर विद्यमान वृक्षों की तुलना में अन्य क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है, जिस कारण सम्यक विचारोपरान्त अभिकथित वन भूमि का चयन किया गया तथा इसके अनुसार ही परिवेश पोर्टल पर पार्ट–I के पैरा–D(ii) में अन्य वैकल्पिक वन भूमि के विवरण में "No" अंकित किया गया है, जिसके समादर में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध गया है, जिसे पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना पर अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–5 : इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि कोटला तोक ग्राम सनगांव–नाहीकलां के अन्तर्गत है, जिस कारण ग्राम कोटला की पृथक रूप से VLC Proceedings की आवश्यकता नहीं है, जिसके निमित्त प्रस्तावक विभाग द्वारा एक प्रामण पत्र भी पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकन हेतु अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–6 : अवगतनीय है कि कथित परियोजना हेतु हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 2.238 है0 वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए थानों रेंज के अन्तर्गत ग्राम सनगांव के खाता सं0–95 के खसरा संख्या–408ख कुल रकबा 7.0640 है0 क्षेत्रफल में से 6. 476 है0 सिविल भूमि वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। देहरादून वन प्रभाग द्वारा उक्त सिविल भूमि की Ground Truthing कराने के पश्चात इस भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे परिवेश पोर्टल के पार्ट–I व पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के स्तम्भ में अपलोड किया गया है।

बिन्दु सं0–10 : प्रश्नगत परियोजना/मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र/स्थल राजाजी टाईगर रिजर्व से 18. 00 किमी0 की दूरी पर विद्यमान है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परिवेश पोर्टल के पार्ट–I व पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

बिन्दु सं0–11 : सम्बन्धित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि यथा आरक्षित वन भूमि 2.013 व सिविल भूमि 1.225 है0 अर्थात कुल 3.238 है0 भूमि, के अनुसार ही परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में यथास्थान भूमि का विवरण अपडेट किया गया है।

बिन्दु सं0–12 : अभिकथित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित क्षेत्र पहाड़ी (Hilly) है, जिसमें भू–क्षरण होने की सम्भावना के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्र में भू–कटाव (Soil Erosion) की रोकथाम हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा Breast Wall/Retaining Wall आदि का तार–जाल के साथ निर्माण किया जायेगा। प्रयोक्ता इकाई द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी बचनबद्धता के तौर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–16 : उक्त आपत्ति के क्रम में संज्ञान में लाना है कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2450.5851 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हुआ है, जिनमें से एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2727.0662 है0 क्षेत्रफल प्रस्तावित है, जिसका प्रगति विवरण निम्नवत् है :–

कुल हस्तान्तरित वन भूमि (है0 मे)	एक है0 से अधिक हस्तान्तरित वन भूमि के प्रकरणों के सापेक्ष कुल आवंटित सी0ए0 (है0 मे)	देहरादून वन प्रभाग द्वारा सम्पादित सी0ए0 (है0 मे)	देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत अवशेष सी0ए0 (है0 मे)	अन्य वन प्रभागों में प्रस्तावित सी0ए0 (है0 मे)	अन्य वन प्रभागों व देहरादून वन प्रभाग के स्तर पर कुल अवशेष सी0ए0 (है0 मे)
2450.585	**2727.0662**	**2208.74**	**211.276**	**307.0502**	**518.3262**

बिन्दु सं0–17 : इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसके अनुसार ही प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की स्थलीय निरीक्षरण आख्या (SIR) में विवरण अंकित किया गया है व तद्नुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) को परिवेश पोर्टल के पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।

4	In reply to point no.- 4, no correction has been made. State govt. may submit the details of trees in cm as provided at para- 4 in part-I online.	इस परिप्रेक्ष्य में अवगतनीय है कि परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रगणना सूची को संशोधित करते हुए उक्त को से0मी0 के परिमाप में परिवर्तित कर तद्नुसार प्रभावित वृक्षों की सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट–II के पैरा–4 में अपडेट कर दी गयी है। साथ ही उक्त संशोधित सूची को पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में

		अपलोड की गयी है, कृपया अवलोकन करना चाहें।
5	In reply to point No- 05, still the number of tree mentioned in SIR of CF is 389 and in other document its 390 trees,. State govt. may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	वृक्षों की प्रगणना सूची के क्रम में अभिलेखों में भिन्नता परिलक्षित होने के कम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में विभिन्न प्रजाति के कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं व तद्नुसार वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) में वृक्षों की सूचना अंकित कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

12/3/21

(डी०जे०के० शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(डी०जे०के० शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,